न्यायालय जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – डॉ इंद्रजीत यादव, IAS

प्रकरण संख्या : 13/ 2024

GCMS संख्या : 2024/ 35

प्रार्थी/अपीलार्थी :–   **बनाम**   **अप्रार्थी /रेस्पोण्डेंट्सः–**

प्रार्थी/अपीलार्थी :–

1. श्री केरेंग पिता श्री जीवा निवासी बरवाला भेरुजी
2. श्री चेतान पिता श्री जीवा निवासी बरवाला भेरुजी
3. श्री नाथु पिता दौलतसिंह निवासी बरवाला भेरुजी
4. पंकज पिता दौलत सिंह निवासी बरवाला भेरुजी
5. श्री मगन पिता दौलत सिंह निवासी बरवाला भेरुजी
6. श्रीमती फणी पत्नि प्रकाश निवासी छोटी रेल नापला तहसील आंबापुरा जिला बांसवाडा

बनाम

अप्रार्थी /रेस्पोण्डेंट्सः–

1 श्री छगनलाल पिता कालु निवासी बरवाला भेरुजी (मृत)
2 श्रीमती धुली पत्नी स्व. श्री शांतिलाल निवासी बरवाला भेरुजी
3 श्री पुनिया पिता कालु निवासी बरवाला भेरुजी
4 सुश्री पुनी पुत्री हकरु निवासी बरवाला भेरुजी
5 श्री परतु पिता कालु निवासी बरवाला भेरुजी
6 श्री बंसीलाल पिता कालु निवासी बरवाला भेरुजी
7 श्री भेरुलाल पिता शांतिलाल निवासी बरवाला भेरुजी
8 श्रीमती शान्ती पत्नी श्री बारिया निवासी बरवाला भेरुजी
9 श्री हुरजी पिता श्री कालु निवासी बरवाला भेरुजी तहसील आंबापुरा जिला बांसवाडा
10 तहसीलदार तहसील आंबापुरा जिला बांसवाडा

उपस्थित

श्री सुरज रावत, अधिवक्ता अपीलांट्स

श्री भूपेन्द्र जैन, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट्स सं. 10

निर्णय

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956

दिनांक :– 23–03–2026

अपीलांट्स ने तहसीलदार तहसील बांसवाडा द्वारा ग्राम बरवाला भेरुजी, पटवार हल्का बोरखाबर, भूअनि क्षैत्र आंबापुरा तहसील बांसवाडा जिला बांसवाडा में न्यायालय द्वारा नामांतरकरण सं. 187 दिनांक 19.12.2004 के विरुद्ध यह अपील पेश की है। प्रार्थना पत्र धारा 5 म्याद अधिनियम इस अपील के साथ संलग्न [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2026.04.07 10:38:43 IST
Reason: SelfAttested

इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य बकौल अपीलांट इस प्रकार है कि खाता सं. 23 नया व 19 पुराना सर्वे नं. 6, 97, 105, 108, 126, 129, 130, 132 कुल खेत 8 कुल रकबा 60.07 बीघा वाके ग्राम बरवाला भेरुजी पटवार हल्का बोरखाबर तहसील व जिला बांसवाडा राजस्थान में स्थित है जो अपीलांट चेतान, केरेंग, दोलसिंह, नरु पिता जीवा एवं कारु पिता उमजी के

जिला कलक्टर बांसवाड़ा

खातेदारी व कब्जे काश्त में दर्ज रेकार्ड है जो अपीलांट अपने हिस्से खसरा सं. 97 रकबा 14. 13 बीघा है तथा जिस पर अपीलांट्स काबीज होकर उनके मकानात बने होकर कृषि कर अपने व अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे है तथा राजस्व रेकार्ड में खसरा सं. 97 कर नया बटा नम्बर 277/97 रकबा 7.07 बीघा रेस्पोडेंट सं. 1 से 9 के नाम राजस्व कर्मचारियो द्वारा मिलीभक्ति कर नामांतरकरण सं. 187 दिनांक 19.12.2004 के द्वारा खसरे का विभाजन कर उक्त नामांतरकरण निर्णित किया है जो अवैधानिक है।

नामांतरकरण से पूर्व मौके की वास्तविक जांच नही की न ही रेकार्ड की जांच की गई। तहसीलदार द्वारा अपीलांट को नही सुना गया ना ही सहखोदारो के किसी बुजुर्ग, जन प्रतिनिधि के बयान लिये गये है।

अपील अपीलांट स्वीकार कर तहसीलदार तहसील बांसवाडा के नामांतरकरण सं. 187 दिनांक 19.12.2004 निरस्त करने निवेदन किया।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक दिनांक 07.08.2024 को रेस्पोडेंट्स के नोटिस बाद तामील पेश हुए। दिनांक 28.08.2024 को रेस्पोडेंट सं. 2 से 7 व 9 की ओर से श्री राजेन्द्र पाटीदार व श्री अंकित गोस्वामी अधिवक्ता का अभिभाषक पत्र पेश हुआ। रेस्पोडेंट सं. 1 व 8 अनुपस्थित रहे।

दिनांक 11.09.2024 को रेस्पोडेंट सं. 2 से 7 व 9 के अधिवक्ता ने उक्त रेस्पोडेंट्स की ओर से जवाब प्रस्तुत किया एवं फर्द दस्तावेज के साथ रेस्पोडेंट सं. 1 श्री छगनलाल पिता कालु का मृत्यु प्रमाण पत्र पेश किया। रेस्पोडेंट की ओर से प्रस्तुत जवाब में प्रारंभिक आपत्ति के रुप में यह उल्लेख किया गया कि अपीलांट्स सं. 1 से 6 तक ने जो अपील रेस्पोडेंट्स के विरुद्ध पेश की है वह अन्दर म्याद नही होकर काबीले खारीज योग्य होने से अपास्त फरमायी जावे। अपने जवाब में आगे यह उल्लेखित किया कि खसरा नं. 277/97 रकबा 07.07 बिघा कृषि भूमि पर रेस्पोडेंट सं. 1 लगायत 7 व 9 का अपने बाप दादा के समय से कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा उनके मकानात भी उक्त भूमि पर बने हुए है। अपीलांट्स की अपील सव्यय अपास्त फरमावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2026.04.07 10:38:43 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक 06.12.2024 को अपीलांट्स के अधिवक्ता द्वारा रेस्पोडेंट सं. 1 के सन्दर्भ में कायम वारिस मुकाम प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसमें यह उल्लेख किया गया कि रेस्पोडेंट सं 1 की मृत्यु हो जाने के कारण कोई वारिस नही होने से रेस्पोडेंट सं. 1 को विलोपित कर रेस्पोडेंट सं. 2 से 9 तक के नाम को यथावत रखे जाने आदेश फरमावे।

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

रेस्पोडेंट सं. 8 दौराने सुनवाई अनुपस्थित रहे। दिनांक 17.04.2025 से रेस्पोडेंट सं. 2 से 7 व 9 स्वयं अथवा उनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहे। दिनांक 30.10.2025 को रेस्पोडेंट सं. 2 से 9 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

दिनांक 12.03.2026 को अपीलांट्स की ओर से उनके अधिवक्ता ने उपस्थित होकर मय फर्द दस्तावेज प्रशासक ग्राम पंचायत बरवाला राजिया द्वारा जारी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र पेश किया। अपीलांट के अधिवक्ता एवं रेस्पोडेंट सं. 10 की ओर से राजकीय अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत् कायम वारिस मुकाम पर बहस सुनी गई। उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र अनुसार रेस्पोडेंट सं.1 श्री छगन लाल की मृत्यु हो चुकी है तथा उनका वारिस नही है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रेस्पोडेंट सं.1 श्री छगनलाल का नाम विलापित करने आदेश दिये।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपीलांट के अधिवक्ता ने धारा 5 म्याद अधिनियम प्रार्थना पत्र पर बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी को नामान्तरकरण का कोई इल्म न होने तथा प्रार्थी अपीलांट अशिक्षित होने से अपील को देरी से प्रस्तुत करने का कारण वास्तविक व न्यायोचित है। अपील अन्दर म्याद समायत करने के आदेश फरमावे।

राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि नियमानुसार प्रस्तुत अपील म्याद बाहर है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रतिदिन हुई देरी का कारण अंकित करना होता है जो प्रार्थना पत्र में नही दर्शाया गया है। प्रस्तुत अपील म्याद बाहर होने से निरस्त फरमावे।

जहां तक अपील म्याद बाहर होने का प्रश्न है। दोनो पक्षो की बहस सुनने के पश्चात् हम इस नतीजे पर पहूँचे है कि प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर होना चाहिये। लिहाजा अपीलान्ट का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम स्वीकार कर विलम्ब को क्षम्य करते हुए अपील अन्दर म्याद समाहित करने के आदेश दिये जाते है।

मूल अपील पर बहस के दौरान अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मैमो में उल्लेखित तथ्यो को दौहराते हुए कथन किया कि खाता सं. 23 नया व 19 पुराना सर्वे नं. 6, 97, 105, 108, 126, 129, 130, 132 कुल खेत 8 कुल रकबा 60.07 बीघा वाके ग्राम बरवाला भेरुजी पटवार हल्का बोरखाबर तहसील व जिला बांस[illegible] रा[illegible]थान में स्थित है जो अपीलांट चेतान, केरेंग, दोलसिंह, नरु पिता जीव[illegible] [illegible] पिता [illegible] के खातेदारी व कब्जे काश्त में दर्ज रेकार्ड है जो अपीलांट अपने हिस्से खसरा सं. 97 रकबा 14.13 बीघा है तथा जिस पर अपीलांट्स काबीज होकर उनके मकानात बने होकर कृषि कर अपने व अपने परिवार का

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2026.04.07 10:38:43 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

पालन पोषण कर रहे है। अपील अपीलांट स्वीकार कर तहसीलदार तहसील बांसवाडा के नामांतरकरण सं. 187 दिनांक 19.12.2004 निरस्त करने निवेदन किया।

रेस्पोडेंट सं. 10 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि प्रश्नगत नामांतरकरण आपसी सहमति से विभाजन जो कि सहखातेदारो द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53(2) के तहत तहसीलदार तहसील बांसवाडा के समक्ष दिनांक 19.12.2004 को प्रस्तुत होने पर स्वीकृत किया है के आधार प्रश्नगत नामांतकरकरण पर दर्ज किया है। उक्त बंटवारा निरस्त हेतु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रथक से प्रावधान है जिसमें अब अपील की म्याद गुजर चुकी है। अपीलांट ने पीछे के दरवाजे से नामांतरकरण को प्रश्नगत कर यह अपील प्रस्तुत की है। तहसीलदार तहसील बांसवाडा द्वारा प्रश्नगत नामांतरकरण आपसी सहमति से विभाजन के आधार पर किया है। अपील अपीलार्थी निरस्त फरमावे।

हमने दोनो पक्षो की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। दिनांक 09.12.2004 को तहसीलदार बांसवाडा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53(2) के तहत आपसी सहमति से बंटवारा बाबत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर तहसीलदार बांसवाडा जिला बॉसवाडा के आदेश दिनांक 09.12.2004 से बंटवारा स्वीकृत किया गया है। जिसके आधार पर तहसीलदार बांसवाडा द्वारा नामान्तरकरण सं. 187 दिनांक 19.12.2004 (ग्राम बरवाला भेरुजी, पटवार हल्का बोरखाबर, भूअनि क्षैत्र आंबापुरा तहसील बांसवाडा) स्वीकृत किया है। जिसमे कोई विधिक भूल नही की है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम अपीलाधीन नामान्तरकरण सं. 187 दिनांक 19.12.2004 मे किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नही समझते है।

अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर तहसीलदार बांसवाडा द्वारा स्वीकृत ग्राम बरवाला भेरुजी, पटवार हल्का बोरखाबर, भूअनि क्षैत्र आंबापुरा तहसील बांसवाडा के नामान्तरकरण सं. 187 दिनांक 19.12.2004 को यथावत रखा जाता है। अधिनस्थ न्यायालय को उनकी मूल पत्रावली मय निर्णय की प्रति के [illegible] प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 23.03.2026 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2026.04.07 10:38:43 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ. इन्द्रजीत यादव)
जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

जिला कलक्टर बांसवाड़ा (राज.)